रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2014/माघ 11, 1935
No. 242] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2014/MAGHA 11, 1935

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2014

का.आ. 294(अ).— जबकि केन्द्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) (इसके बाद इस अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत ऐसी वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उसका कुछ प्रतिशत आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति अथवा वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है ;

और जब कि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मान दंडों की सिफारिश करने के लिए दिनांक 13 फरवरी, 2013 का.आ. 360 (अ) द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन कर दिया है;

और, जबकि केंद्र सरकार स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसको दी गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि वर्ष 2013-14 (अर्थात् जुलाई 2013 से जून 2014 तक) के लिए वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणियां अथवा उसका कुछ प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना, कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में आवश्यक है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्ष 2013-14 के लिए (अर्थात् 30 जून, 2014) तक नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को

अनुसूची के कालम (3) में तद्नुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में संवितरण की आपूर्ति के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में विनिर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी के कुल उत्पादन का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	उत्पादन का नब्बे प्रतिशत (90%)
(ii)	चीनी	उत्पादन का बीस प्रतिशत (20%)

परन्तु उपर्यक्त प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) विटामिन से युक्त चीनी;

(ख) वस्तुओं के निर्यात के लिए पैकेजिंग;

(ग) 25 कि.ग्रा. अथवा उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैक; और

(घ) 100 कि.ग्रा. से अधिक की बल्क पैकेजिंग।

2. निर्यात के लिए पैक की गई चीनी किन्तु जिसे निर्यात नहीं किया जा सका, को खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा आकलन के आधार पर तथा उनके अनुरोध पर इस आदेश के प्रचालन से छूट दी जाए।

3. पटसन पैकेजिंग सामग्री की कमी अथवा इसकी आपूर्ति में व्यवधान अथवा अन्य आकस्मिकता/अत्यावश्यकता की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय संबंधित उपभोक्ता मंत्रालयों के परामर्श से इन प्रावधानों में खाद्यान्न के उत्पादन के अधिकतम 30 प्रतिशत तक और आगे ढील दे सकता है।

[फा.सं.9/16/2013-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 31st January, 2014

S.O. 294(E).—Whereas the Central Government under sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act) is empowered to specify the commodities or class of commodities or percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And, whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee *vide* number S.O. 360(E), dated the 13th February, 2013, to recommend the norms of packaging in jute material;

And, whereas the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material for the year 2013-14 (i.e. from July, 2013 to June, 2014);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with sub-section (1) of Section 16 of the said Act, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the Schedule, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the year 2013-14 i.e., upto 30th June, 2014.

SCHEDULE

Sl.No.	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	Foodgrains	Ninety per cent (90%) of the production
(ii)	Sugar	Twenty per cent (20%) of the production

Provided that the above provisions shall not apply to:-

(a) sugar fortified with vitamins;
(b) packaging for export of the commodities;
(c) small consumer packs of twenty-five kilogram and below; and
(d) bulk packaging of more than one hundred kilogram/s.

2. Sugar packed for export but which could not be exported may be exempted from the operation of this order on the basis of an assessment by and request of the Department of Food and Public Distribution.

3. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in other contingency/exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, relax these provisions further, up to a maximum of thirty per cent (30%) of the production of foodgrains.

[F. No. 9/16/2013-Jute]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054